



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/ 860

जयपुर, दिनांक: 28-12-2025

::अधिसूचना::

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/774 दिनांक 20.11.2025 एवं संख्या एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/815 दिनांक 21.11.2025 जिला ब्यावर की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत दिनांक 21.11.2025 एवं 24.11.2025 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(ग) में प्रकाशित अधिसूचनाओं में लिपिकीय त्रुटिवश गलत प्रकाशन होने की वजह से व प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण पश्चात, निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार एतद्वारा संशोधन कर शुद्धि पत्र जारी किया जाता है:-

नीचे दिये गये कॉलम संख्या 6 में अंकित विवरण के स्थान पर कॉलम 7 में अंकित विवरण को सही समझ कर पढा जाये।

ग्राम पंचायतों हेतु

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	राजपत्र पृष्ठ संख्या	क्र.सं.	कॉलम संख्या	पूर्व प्रकाशित विवरण	संशोधित विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	638, 639	1	3		11. आशापुरा नगर
2	रायपुर	638	1	5		6. आशापुरा नगर
3	जैतारण	637	14	4	भीवगढ	भीवगढ मंडी चौराहा
4	जवाजा	629	9	5	5. गोरेला	विलोपित
5	जवाजा	630	15	5		5. गोरेला
6	जैतारण	637	12	3		6. थोथी फूलसागर
7	जैतारण	637	12	5		4. थोथी फूलसागर
8	जैतारण	638	19	5	3. बक्तावरपुरा मानपुरा	विलोपित
9	जैतारण	638	18	5		3. बक्तावरपुरा मानपुरा

(Handwritten signature)

पंचायत समितियों हेतु

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	राजपत्र पृष्ठ संख्या	क्र.सं.	कॉलम संख्या	पूर्व प्रकाशित विवरण	संशोधित विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	जैतारण	2010	1	3	35. भींवगढ	35. भींवगढ मंडी चौराहा
2	रास	2012	3	5	8. भींवगढ	8. भींवगढ मंडी चौराहा
3	रायपुर	2011, 2012	2	5		34. केसरपुरा
4	रास	2012, 2013	3	5	23. केसरपुरा	23. केसरपुरा-पाटन

राज्यपाल की आज्ञा से

28.12.2025
(डॉ० जोगा राम)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान ।
2. अति. मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान ।
10. रक्षित पत्रावली।

28.12.25
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव
(प्रथम)